



न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

केम्प इन्डोर निग-2954-88216

1- हेमसिंह पिता <sup>रुगनाथ</sup> ~~रुगनाथ~~ जाति रघुवंशी उम्र 60 वर्ष

धंधा खेती निवासी ग्राम बरदरी तह0 व जिला धार

2- नंदराम पिता रुगनाथ जाति रघुवंशी उम्र 58 वर्ष

धंधा खेती निवासी ग्राम बरदरी तह0 व जिला धार

.....निगरानीकर्ता

बनाम

हरिसिंह पिता उम्मेदसिंह जाति रघुवंशी उम्र 65 वर्ष

धंधा खेती निवासी ग्राम बरदरी तह0 व जिला धार

.....विपक्षी



श्री कचुराग साहू निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

द्वारा आज दि 9-9-16 को  
मान्यवर महोदय,  
पस्तुत

सेवा में निगरानीकर्तागण का अत्यंत विनम्रता से निवेदन है कि ग्राम बरदरी तह0 व जिला धार की भूमि के संबंध में हमारे व वर्तमान विपक्षी के जो मूल प्रकरण राजस्व प्रकरण क्रमांक/59/2015-16/अ-12 का प्रार्थी है उसके व हमारे बीच दीवानी मुकदमे पूर्व से चल रहे हैं जिसमें मूल प्रकरण के प्रार्थी ने जितेन्द्र आदि ने छलयुक्त वाद पर आबादी क्षेत्र में जहां मकानात बने हैं जिस क्षेत्र में नाप विधि से संभव नहीं है जिस संबंध में पूर्व में भी नाम आदि बताकर रोक मांगी थी। हरिसिंह व जितेन्द्र ने रोक मांगी थी जो भूमि सर्वे नंबर 306 जिसके दो भाग हैं 306/1 व 306/2 है हरिसिंह ने 306/2 का हकदार बताया है व कार्यवाही 12.06.15 को कही है एक साल तक कोई कार्यवाही नहीं हुई मामला पेडिंग रहा कई बार वाद में निर्णय हुए आज्ञाएं हुईं वे सब छिपाकर उनमें पराजित होकर मूल प्रकरण के प्रार्थी ने राजस्व निरीक्षक व पटवारी से मिलकर यकायक उन्हें कोई विधिक आज्ञा न होते हुए न ऐसी आज्ञा प्रकरण में मौजूद है। न होने का प्रश्न है। यकायक यथाकथित हितधारी अडोसी पडोसी व अन्य शासकीय नंबर भी कहे गये हैं अन्य भूमिया कही गई हैं वे सब छिपाकर यकायक सालभर बाद याने 15.06.2015 होकर उसके साल भर बाद 04.06.2016 की कहानी कहकर दिनांक 04.07.2016 के सूचना पत्र में काटा कुटी है। संपूर्ण चारो तरफ के काश्तकारो को विधिक सूचना भी नहीं है फिर उक्त प्रकरण में चारो तरफ के काश्तकारो की भूमि का नाप किये बिना धारा 124 से 129 नियम उपनियम का अपालनकर है कोई पंचनामा नक्शा अथवा कोई ए. बी. सी. डी. ई. एफ. जी स्थान आदि डालकर कोई पंचनामा हो व रिपोर्ट हो तो

हेमसिंह

नंदराम



चय (म०प्र०)  
१८२६

2

राजस्व प्रकरण क्रमांक 59/2015-16/अ-12 में व्यर्थ है विचाराधिकार रहित है। भूरास के नाप के नियम उपनियम का पालन किये बिना कोई अंतिम आज्ञा 18.07.2016 को दी हो तो व पंचनामा रिपोर्ट है तो व उस पर से कोई नक्शा व उसमें अंकन ई. एफ. जी आदि है तो वह व्यर्थ है जबकि सर्वे नंबर 312, 311, 310, 321, 306, 307 अथवा 297 को कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं है हमारे 306/1 व 306/2 के बीच का स्थान है वह किसका है उसका उल्लेख नहीं है उसका नाप नहीं है अतः अंतिम आज्ञा 18.07.2016 व 04.07.2016 व 05.07.2016 अवैध विचाराधिकार रहित है जिसे अपास्त बाबद यह निगरानी निम्न आधारों पर कानून सम्मत सादर सदभावनापूर्वक पेश है :-

R 2954-PBB/16 एम  
हेमसिंह / हरीसिंह

15-11-2016

१)

आकेकगण की ओर से सूचना  
उपरान्त कोई भी उपाख्यत नहीं। तीव  
धर ~~सुकर~~ पुकार लगवाई गई, फिर भी  
कोई उपाख्यत नहीं। अतः प्रमाण  
अदम्य पैरवी में खालि किया जाता  
है।

*अमि*

*अध्या*